

न्यायालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीमपुर-खीरी।

मु0फौ0वाद सं0-955/19

सी0एन0आर0नं0-यू0पी0 एल0पी0-040083612019

सरकार

बनाम

नदीम उर्फ नजमुल हसन

अ0सं0-06/19

धारा-3/25 आयुध अधिनियम

थाना-कोतवाली सदर

जिला खीरी।

### सत्र सुर्पुदगी आदेश

अभियुक्त नदीम उर्फ नजमुल हसन के विरुद्ध थाना- कोतवाली सदर जिला खीरी की पुलिस ने धारा-3/25 आयुध अधिनियम के अपराध के परीक्षण हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया है।

अभियुक्त जेर हिरासत उपस्थित आया।

अभियुक्त को अभियोजन प्रलेखों की प्रतियां धारा- 207 दं0प्र0सं0 के अनुसार प्रदान की जा चुकी है।

चूंकि यह पत्रावली फौज वाद संख्या 954/19 मु0अ0सं 05/19 धारा 147,148,149,307,398,504,506,411,भा0दं0स0 व धारा 41 दं0प्र0स0 राज्य प्रति जमील उर्फ बिल्लू आदि से सम्बन्धित है जो आज दिनांक 29-3-2019 को सत्र सुर्पुद की जा चुकी है। अतः अभियुक्त का प्रस्तुत मुकदमा भी विचारण हेतु माननीय सत्र न्यायालय को सुर्पुद किया जाता है।

अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः वह दौरान विचारण एवं विचारण की समाप्ति तक सत्र न्यायालय के अन्यथा आदेशपर्यन्त न्यायिक अभिरक्षा में रहेगा।

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0), खीरी को इस सम्बंध में सूचना भेजी जावे। पत्रावली मय समस्त अभिलेख कलेण्डर एवं वाद सम्पत्ति यदि कोई हो, के सहित अन्दर सप्ताह भेजी जावे।

अभियुक्त को जेल से तलव कर नियत दिनांक-15-4-2019 को माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया जावे।

(सुनील प्रसाद)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

लखीमपुर-खीरी।

29-3-2019



न्यायालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीमपुर-खीरी।

मु0फौ0वाद सं0-955/19

सी0एन0आर0नं0-यू0पी0 एल0पी0-040083612019

सरकार

बनाम

नदीम उर्फ नजमुल हसन

अ0सं0-06/19

धारा-3/25 आयुध अधिनियम

थाना-कोतवाली सदर

जिला खीरी।

सेवा में,

माननीय सत्र न्यायाधीश,  
लखीमपुर-खीरी।

महोदय,

निवेदन है कि मैंने आज दिनांक 29-3-2019 को उपरोक्त मुकदमा माननीय सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया है।

अभियोजन के लिए 13 साक्षी हैं और इस न्यायालय में उनकी उपस्थित सुनिश्चित करने के लिए दिन की आवश्यकता है।

अतः अनुरोध है कि मैंने अभियुक्त को सूचित कर दिया है कि वह दिनांक 15-4-2019 को सत्र न्यायालय में उपस्थित हो।

भवदीय,

(सुनील प्रसाद)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
लखीमपुर-खीरी।

दिनांक-29-3-2019

नाम पता अभियुक्त/अभियुक्तगण जेल में

1- नदीम उर्फ नजमूलहसन पुत्र मेहन्दीहसन निवासी नौरगाबाद थाना कोतवाली सदर जिला खीरी।

2— दललुड उरु डंकऑ कशुड डुतुर रलधेशुडल कशुड नलवलसी सलडरलऑुरलहल थलनल  
सुरसल ऑनडद हरदुई ।